छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

(खंड न्यायपीठ)

कोरम : माननीय श्री फखरुद्दीन, न्यायमूर्ति

माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव; न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्र. 660/2001

कलप राम,

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ निर्णय

हस्ताक्षर /-

श्री विजय कुमार श्रीवास्तव;
न्यायमूर्ति

माननीय श्री फखरुद्दीन, न्यायमूर्ति

मै सहमत हूँ ।

हस्ताक्षर /-

16/09/2005

हस्ताक्षर /-

श्री फखरुद्दीन;
न्यायमूर्ति
16/09/2005

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

(खंड न्यायपीठ)

कोरम : माननीय श्री फखरुद्दीन, न्यायमूर्ति
माननीय श्री विजय कुमार श्रीवास्तव; न्यायमूर्ति

दांडिक अपील क्र. 660/2001

अपीलार्थी — कलप राम
आत्मज तिलक राम राठिया,
आयु लगभग 45 वर्ष,
निवासी चरखापारा, मंगहापारा,
थाना पत्थलगांव,
जिला जशपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादी — छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा पुलिस थाना पत्थलगांव,
जिला जशपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक दीक्षित, अधिवक्ता उपस्थित

राज्य शासन की ओर से : अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री यू.एन.एस. देव, उपस्थित

निर्णय

(दिनांक 16/09/2005 को पारित)

न्यायमूर्ति विजय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार -

यह अपील सत्र विचारण क्र. 31/2000 में अपर सत्र न्यायाधीश, जशपुर नगर द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश दिनांक 19/06/2001 के विरुद्ध निदिष्ट है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या के अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया

है और आजीवन कारावास भुगतने और 500/- रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है, व्यतिक्रम करने पर उसे दो महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2) प्रकरण का संक्षिप्त घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 23/12/1999 को दोपहर लगभग 12.15 बजे मृतक बाबूलाल सोनवानी अपनी मोटर सायकल क्रमांक एम.पी.27-सी-1343 चलाते हुए उपसरपंच- चन्द्रशंकर के घर से आ रहा था। जब वह मोहितराम के घर के पास पहुंचा तो अपीलार्थी वहां आया, उसे रोका और कुल्हाड़ी चलाते हुए उसके सिर पर वार कर क्षति पहुंचाई, जिसके परिणामस्वरूप मृतक बाबूलाल सोनवानी अपनी मोटर सायकल से नीचे गिर गया। कुछ देर बाद सोमलाल ने उपसरपंच चन्द्रशंकर को सूचना दी कि मृतक बाबूलाल सोनवानी रास्ते में मोटर साइकिल से गिर गया है और उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद चन्द्रशंकर ने घटना की सूचना पुलिस को दी और उसकी सूचना पर पुलिस द्वारा मर्ग सूचना अभिलिखित किया गया । पुलिस उपनिरीक्षक बी.बी.एस. राजपूत ने, मौके पर पहुँच कर, शव का पंचनामा तैयार किया और शव को शव परीक्षण के लिए भेज दिया । डॉक्टर लक्ष्मण बंखेड ने शव परीक्षण किया । शव परीक्षण में चिकित्सा अधिकारी ने पाया कि सिर के पिछले आधे भाग में अनुप्रस्थ दिशा पैरिएटो ऑक्सीपिटल [(मस्तिष्क के दो हिस्से के बीच की गहराई वाला क्षेत्र)], पर 6 सेमी x 2 सेमी x 5 सेमी आकार का तिरछा कटा हुआ घाव है जो दाहिनी ओर अधिक विस्तारित है, लाल रंग का रक्तस्राव हो रहा है और मस्तिष्क में गहरी चोट है। ऑक्सीपिटल हड्डी **[**(पश्चस्कपाल अस्थि/खोपड़ी में कपाल के पिछले व निचले भाग स्थित समलम्बाकार की अस्थि)**]** और पैरिएटल क्षेत्र **[**(पार्श्विका क्षेत्र(खोपड़ी के ऊपरी – पिछला भाग)**]** और मध्य फोसा**(** खोपड़ी के पीछे,आधार पर तितली के आकार का गड्ढा/गुहा **)** दोनों का अस्थि भंग है । चिकित्सा अधिकारी का राय था कि मृत्यु सिर में चोट लगने के कारण हुई थी और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) अन्वेषण के दौरान मौके पर मौजूद ललिता बाई, उदवासो बाई और रमसीला बाई के साक्ष्य कथन लिए गए और उनके कथनों से प्रकट हुआ कि अपीलार्थी ने मृतक बाबूलाल सोनवानी पर कुल्हाड़ी (टंगिया) से वार कर सिर पर चोटें पहुंचाईं थी और जिसके परिणामस्वरूप उन चोटों के कारण बाबूलाल सोनवानी की मृत्यु हो गई। अपीलार्थी के मेमोरेंडम पर उसके पास से कुल्हाड़ी और उसका हत्था, शर्ट बरामद कर जब्त कर लिया गया था । जब्त कुल्हाड़ी और हैंडल को पूछताछ के लिए चिकित्सा

अधिकारी के पास भेजा गया, जिन्होंने कुल्हाड़ी और हैंडल की जांच के बाद राय दी कि मृतक के शरीर पर मिली चोटें जब्त कुल्हाड़ी के कारण हो सकती हैं। अन्वेषण के दौरान पटवारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया गया है। घटनास्थल से मोटर साइकिल, सादी मिट्टी, खून के धब्बे जब्त किए गए हैं। अपीलार्थी से जब्त सादी मिट्टी, खून के धब्बे, कुल्हाड़ी व उसका हत्था तथा कपड़ों को रासायनिक जांच के लिए एफ.एस.एल. भेजा गया । अन्वेषण के बाद पुलिस रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,जशपुर नगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया ।

4) अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 302 भा.द.वि.के तहत आरोप विरचित किया गया । आरोप पढ़कर सुनाया गया तथा उसे समझाया गया, जिसने अपना दोष अस्वीकार किया और उसका बचाव यह था शत्रुतावश उसे इस प्रकरण में झूठा आलिप्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5) विद्वान विचारण न्यायालय ने, शव परीक्षण रिपोर्ट, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण बंखेड(अ.सा.7) और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ललिता बाई (अ.सा.-1), उदवासो बाई(अ.सा.-2) और रमसीला बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए,अपीलार्थी को, मृतक बाबूलाल सोनवानी की हत्या करने का दोषी माना और तदनुसार दोषसिद्ध ठहराया और दंडादेश दिया ।

6) दोनों पक्षों को सुना गया और विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7) डॉक्टर लक्ष्मण बंखेड़ (अ.सा.-7) ने मामले के अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्यित किया कि उन्होंने मृतक बाबूलाल सोनवानी के शव का शव-परीक्षण किया था, परीक्षण करने पर उन्हें वर्टेक्स क्षेत्र(पैरिएटो ऑक्सीपिटल)सिर के पिछले आधे भाग में अनुप्रस्थ दिशा पर,6 सेमी x 2 सेमी x 5 सेमी आकार का तिरछा कटा हुआ घाव था जो दाहिनी ओर अधिक विस्तारित है, लाल रंग का का तीव्र कटने का निशान और मस्तिष्क में गहरा घाव है। मस्तिष्क का पदार्थ संकुचित और कुचला हुआ होकर घाव से बाहर आ रहा था। अन्तःकपालीय(इंट्राक्रैनील)और अतः मस्तिष्कीय(इंट्रासेरेब्रल) रक्तस्राव मौजूद है। ऑक्सीपिटल हड्डी का फ्रैक्चर और दाएं पार्श्विका हड्डी का दबा हुआ फ्रैक्चर भी मौजूद था । दायां – मध्य गुहा(राइट मिडिल फोसा)का फ्रैक्चर भी मौजूद है । दाहिने कान से खून का बहाव हो रहा था ।

उन्होंने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उनकी राय में मृत्यु का कारण सिर में चोट लगने के फलस्वरूप सदमे के कारण कोमा में चले जाना था। मृत्यु मानव वध की प्रकृति की थी। उनकी शव परीक्षण रिपोर्ट, प्रदर्श पी/9 है। उन्होंने यह भी कथन किया कि एक कुल्हाड़ी और उसका हैंडल 26/12/1999 को, उनकी जांच के लिए पेश किया गया था और उनकी राय में, मृतक बाबूलाल सोनवानी के शरीर पर मिली चोट कुल्हाड़ी से लगी हो सकती है। उसका लंबे समय तक प्रतिपरीक्षण किया गया , लेकिन उसके साक्ष्य पर संदेह या अविश्वास करने के लिए कोई सारवान तथ्य सामने नहीं लाया गया।

8) ललिता बाई(अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अभिसाक्षियत किया कि वह बोरिंग पंप पर थी, उसने अपीलार्थी को कुल्हाड़ी के साथ आते हुए देखा और उसी समय मृतक बाबूलाल सोनवानी अपनी मोटर साइकिल पर आ रहा था । अपीलार्थी ने उस कुल्हाड़ी से बाबूलाल के सिर पर वार किया। जिससे उसके सिर पर चोट आई और वह गिर गया । उदवासो बाई(अ.सा.-2) भी बोरिंग पंप के पास मौजूद थी, जिसने अपने कथन में यह अभिसाक्षियत किया कि अपीलार्थी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया था और उसने उस कुल्हाड़ी से बाबूलाल सोनवानी जो अपनी मोटर साइकिल पर था, के सिर पर वार किया । बाबूलाल सोनवानी गिर गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई । रमसीला बाई(अ.सा.-3) भी बोरिंग पंप के पास मौजूद थी, जिसने अपने कथन में यह अभिसाक्षियत किया कि वह उस समय नहा रही थी और उसने अपीलार्थी को वहां से कुल्हाड़ी लेकर भागते हुए देखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9) ललिता बाई(अ.सा.-1)उदवासो बाई (अ.सा.-2) और रमसीला बाई (अ.सा.-3)के प्रतिपरीक्षण से यह पाया गया कि अपीलार्थी, साक्षी चंद्रशंकर का भतीजा है। चंद्रशंकर उपसरपंच है । अपीलार्थी और चंद्रशंकर के घर आस-पास सटे हुए हैं और अपीलार्थी और चंद्रशंकर के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं हैं । जिस गांव में वे रह रहे हैं, उसमें दो गुट हैं, एक का नेतृत्व चंद्रशंकर और दूसरे का मानसिंह द्वारा किया जाता है। अपीलार्थी मानसिंह के गुट से सम्बद्ध था । मानसिंह के समूह के साथ वे चन्द्रशंकर के साथ पुलिस थाने गए और पुलिस द्वारा उनके कथन, चन्द्रशंकर के निर्देश पर अभिलिखित किए गए । रमसीला बाई(अ.सा.-3) ने भी स्वीकार किया कि पुलिस द्वारा, उसके कथन अभिलिखित कराने, में चन्द्रशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी । ललिता बाई(अ.सा.-3)और उदवासो बाई (अ.सा.-2)ने अपनी प्रतिपरीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दिये कि उन्होंने पुलिस के समक्ष यह नहीं बताया कि अपीलार्थी ने दोनों हाथों

का इस्तेमाल करके बाबूलाल सोनवानी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, किन्तु उन्हें, उनका पुलिस को दिये बयानों से,आमना-सामना नही कराया गया। केवल यही अंतर प्रकट होता है कि दोनों गवाहों ने पुलिस के समक्ष यह बयान दिया कि अपीलार्थी ने बाबूलाल सोनवानी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे घायल किया ।एकमात्र लोप या चूक यह हुई कि उन्होंने यह वृतांत नहीं बताया कि अपीलार्थी ने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया था । चन्द्रशंकर (अ.सा.-4) जो मृतक का चाचा है, ने प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य स्वीकार किया है कि गांव दो गुटों में बंटा हुआ है, एक गुट उससे सम्बद्ध है और दूसरा मानसिंह का है। पहले अपीलार्थी मानसिंह के गुट में था, लेकिन बाद में उसके गुट में आ गया । सभी गवाह उसके समूह के थे। उसने इस तथ्य से इंकार किया कि ललिता बाई (अ.सा.-1),उदवासो बाई(अ.सा.-2)और रमसीला बाई(अ.सा.-3) के कथनों अभिलिखित करवाने में उसकी भूमिका थी। अपीलार्थी का घर और उसका घर एक दूसरे से सटा हुआ है। अपीलार्थी का एक बेटा है जो वर्तमान में गांव में रह रहा है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद प्रकट किया कि मर्ग सूचना अर्थात प्र.पी.1 तथा शव पंचनामा प्र.पी.2 से यह इंगित होता है कि मृतक की मृत्यु मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई, इसलिए अपीलार्थी को हत्या के अपराध में आलिप्त नहीं किया जा सकता । चन्द्रशंकर (अ.सा.-4) की रिपोर्ट पर प्रदर्श.पी.-1 अभिलिखित किया गया । प्रदर्श.पी -1 में ही चन्द्र शंकर ने सूचना दी थी कि सोमेलाल ने बताया कि बाबूलाल सोनवानी मोटर साइकिल से गिर गया है। स्थल निरीक्षण प्रदर्श पी.-2 में भी यह पाया गया कि मृतक मोटर साइकिल पर लेटा हुआ था। न तो प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर प्रदर्श.पी.-1 अभिलिखित की गई है और न ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की सूचना पर प्रदर्श.पी.-2 तैयार की गई है। इसलिए ये दोनों दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अभिकथनों पर अविश्वास करने के लिए सारभूत नहीं हैं। चिकित्सकीय साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि बाबूलाल सोनवानी के सिर पर मात्र एक वार किया गया है। मृतक के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं पाई गई और यह सभी को ज्ञात है कि यदि कोई मोटर दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर पर कई चोटें होनी चाहिए । मेडिकल साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक मोटरसाइकिल पर था और उसे अपीलार्थी ने रोका और उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया । सिर पर चोट लगने पर मृतक नीचे गिर गया और शव मोटर साइकिल पर पड़ा था जिसके फलस्वरूप उसके सिर पर केवल एक चोट पाई गई ।

11) बी.बी.एस. राजपूत (अ.सा.-6), उप-निरीक्षक, के साक्ष्य से यह साबित हो चुका है कि मेमोरेंडम के आधार पर अपीलार्थी से कुल्हाड़ी और उसका हैंडल जब्त किया गया था और अ.सा.-7 के साक्ष्य से यह भी साबित हो चुका है कि जब्त कुल्हाड़ी को परीक्षण के लिए उसके पास भेजा गया था और परीक्षण के आधार पर उसका यह मत था कि मृतक के शरीर परआई चोटें कुल्हाड़ी से लगी हो सकती हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंटी उर्फ़ गुड्डू विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य **2004(1)सुप्रीम कोर्ट केसेस 414** में निर्णय देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि;

> इ. दांडिक विचारण – साक्षीगण - प्रत्यक्षदर्शी साक्षी - घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति - उनकी प्रतिपरीक्षण से उनकी सत्यता पर संदेह करने के लिए कुछ भी दुर्बल तथ्य नही हासिल किया जा सका - ऐसा कोई सुझाव नही दिया गया कि वे आरोपी को झूठा क्यों फंसा सकते हैं या न ही इस तरह के झूठे विवक्षा के पीछे कोई हेतुक सुझाया गया,सिर्फ इसलिए कि वे मृतक के रिश्तेदार (भाई)थे और दूसरा उसे जानता था, वह स्वयं उनके साक्ष्य को त्यक्त करने का आधार नही हो सकता – जब उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संविक्षा की गई हो और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा प्रतिग्राह्य पाया गया हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नही है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13) ललिता बाई (अ.सा.-1), उदवासो बाई(अ.सा.-2) और रमसीला बाई(अ.सा.-3)के साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ने और ललिता बाई और उदवासो बाई के साक्ष्य में की गई लोप को भी ध्यान में रखते हुए, सारभूत बिंदु पर उनका साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं प्रतीत होता है। यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी को झूठा आलिप्त किया गया है और केवल गांव में गुटबाजी की मौजूदगी या मृतक के चाचा चंद्र शंकर द्वारा रुचि लेने के कारण, सावधानीपूर्वक जांच करने पर तीनों प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य विश्वसनीय पाए गए, जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता । जहां तक दुर्घटना के सिद्धांत का संबंध है, चिकित्सा साक्ष्य ही उसे अविश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त है।

14. विद्वान विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं और साक्षियों के कथनों पर अत्यंत विस्तार पूर्वक और पूरी बारीकी से विचार किया और साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद अपीलार्थी को हत्या के अपराध में दोषी ठहराया।

15. हमारा मत है कि अभिलेख पर ऐसा कोई भी सारभूत नहीं है जो यह दर्शाए या साबित करे कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेखित किया गया निष्कर्ष अनुचित या त्रुटिपूर्ण है या इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। विचारण न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुँची है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश में कोई दोष नहीं है।

16) परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिद्धि दोष के निर्णय और दंडादेश को यथावत रखा जाता है और अपील खारिज की जाती है।

हस्ताक्षर/-
(श्री फखरुद्दीन)
न्यायमूर्ति

हस्ताक्षर /-
(श्री वी.के.श्रीवास्तव)
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Tapan Kumar Saha, Advocate